न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा जिला डुंगरपूर राजस्थान

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार न्योल

प्रकरण सख्याः–45/2022 रेवेन्यु निर्णय दिनांकः–12.08.2022

1 श्री गोवर्धनलाल पिता नाथुजी पाटीदार जाति पाटीदार उम्र वयस्क निवासी झलाप तहसील सीमलवाडा जिला डूगरपुर राजस्थान हाल निवास कुपडा तहसील व जिला डुगंरपूर राज. ।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री राकेश पिता गोवर्धनलाल पाटीदार जाति पाटीदार उम्र वयस्क निवासी झलाप तहसील सीमलवाडा जिला डूगरपुर राजस्थान।

2 श्री सतु पत्नि राकेश पाटीदार जाति पाटीदार उम्र वयस्क निवासी झलाप तहसील सीमलवाडा जिला डूगरपुर राजस्थान।

विपक्षीगण

माता पिता व वरिष्ठ नागरिको के भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007

वादीः– बालगोविन्द पाटीदार उपस्थित

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैकि प्रार्थी व विपक्षी सख्या एक व दो एक ही गांव झलाप के स्थायी निवासी है । प्रार्थी वद्व हालत मे है प्रार्थी के तिन लडके है । विपक्षी सख्या एक प्रार्थी का सबसे छोटा पुत्र है। प्रार्थी व उसकी पत्नि और विपक्षीगण साथ मे ही रहते है। प्रार्थी ने विपक्षी सख्या एक को पढा लिखाकर उतना योग्य बनाया की वो प्रार्थी की सेवा चाकरी करेगा। लेकिन विपक्षीगण ने मिलकर दिनांक 04.02.2022 को जबरन झगडा फसाद व गाली गलौच कर प्रार्थी को पुराने मकान से बाहर निकाल दिया और हमारे मकान मे विपक्षीगण रह रहे है और प्रार्थी की सेवा चाकरी करने से मना कर दिया जिससे प्रार्थी बाहर निवास करता है जिसको वद्व होने के कारण घरेलु काम करना असम्भव है । विपक्षीगण प्रार्थी के हिस्से मे खेती करते है उसके बावजुद प्रार्थी को घर मे रहने नही देते व झगडा फिसाद करते है । प्रार्थी को खाने पीने व चिकित्सा के लिये उधर उधर भटकना पडता है। विपक्षी सख्या एक कुवैत रहने के बाद सक्षम हो गया जिसके कारण प्रार्थी को सेवा चाकरी करने से मना कर रहा है तथ प्राथ्री को घर से निकालकर प्रताडीत कर रहा है । और प्रार्थी को घर से निकाल देने से प्रार्थी दर दर ठोकरे खा रहा है जबकि विपक्षीगण का दाश्त्वि बनता हैकि वो वद्व माता पिता की सेवा चाकरी करे । प्रार्थी ने विपक्षी को छोटा बच्चा समझकर अपने घर मे रहने दिया उल्टा विपक्षीगण ने प्रार्थी को घ से निकाल दिया तथा प्रार्थी को बेदखल कर दिया जिससे प्रार्थी को अपने धर से दुर कुपडा रहना पड रहा है ।तथा विपक्षीगण ने प्रार्थी के घर मे कब्जा कर लिया है और प्रार्थी को अपने अधिकारो से वंचित कर रहा है तथा विपक्षीगण प्रार्थी को प्रताडीत कर रहे है ऐसे मे विपक्षीगण को बेदखल कर प्रार्थी को मकान मे निवास करन के लिये कब्जा सुपूर्दे किया जावे व विपक्षीगण को इस बात के लिये पाबंद किया जावे की वे प्रार्थी के साथ गालीगलौज नही करे । इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त दाद

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

क्रमशः पेज दो पर

Scanned with OKEN Scanner

चाही है। जिसके बाद वाद दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए। जिस पर विपक्षीगण मय वकील उपस्थित हुए । विपक्षीगण को कई अवसर दिये जाने के बावजुद जवाब नही देने पर जवाब बन्द किया गया । प्रार्थी की ओर से प्रार्थी की ओर प्रार्थी स्वंय के बयान लेख्रबद्व किये गये । विपक्षी को अवसर देने के बावजुद से जिरह नही की गई ।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया प्रार्थी व विपक्षी सख्या एक व दो एक ही गांव झलाप के स्थायी निवासी है । प्रार्थी वद्व हालत मे है प्रार्थी के तिन लडके है । विपक्षी सख्या एक प्रार्थी का सबसे छोटा पुत्र है। प्रार्थी व उसकी पत्नि और विपक्षीगण साथ मे ही रहते है। प्रार्थी ने विपक्षी सख्या एक को पढा लिखाकर उतना योग्य बनाया की वो प्रार्थी की सेवा चाकरी करेगा। लेकिन विपक्षीगण ने मिलकर दिनांक 04.02.2022 को जबरन झगडा फंसाद व गाली गलौच कर प्रार्थी को पुराने मकान से बाहर निकाल दिया और हमारे मकान मे विपक्षीगण रह रहे है और प्रार्थी की सेवा चाकरी करने से मना कर दिया जिससे प्रार्थी बाहर निवास करता है जिसको वद्व होने के कारण घरेलु काम करना असम्भव है । विपक्षीगण प्रार्थी के हिस्से मे खेती करते है उसके बावजुद प्रार्थी को घर मे रहने नही देते व झगडा फिसाद करते है । प्रार्थी को खाने पीने व चिकित्सा के लिये उधर उधर भटकना पडता है। विपक्षी सख्या एक कुवैत रहने के बाद सक्षम हो गया जिसके कारण प्रार्थी को सेवा चाकरी करने से मना कर रहा है तथ प्राथ्री को घर से निकालकर प्रताडीत कर रहा है । और प्रार्थी को घर से निकाल देने से प्रार्थी दर दर ठोकरे खा रहा है जबकि विपक्षीगण का दायित्व बनता हैकि वो वद्व माता पिता की सेवा चाकरी करे । प्रार्थी ने विपक्षी को छोटा बच्चा समझकर अपने घर मे रहने दिया उल्टा विपक्षीगण ने प्रार्थी को घर से निकाल दिया तथा प्रार्थी को बेदखल कर दिया जिससे प्रार्थी को अपने धर से दुर कुपडा रहना पड रहा है जबकि ग्राम झलाप मे प्रार्थी के स्वामित्व का मकान स्थित है जिसका नाप उत्तर दक्षिण 30 फिट व पूर्व पश्चिम 20 फिट होकर स्थित है जिसके उत्तर मे प्रार्थी के स्वंय की भुमी, दक्षिण मे स्वंय का आंगन व सीसी सडक पुर्व व पश्चिम मे स्वंय की भुमी स्थित है उक्त मकान प्रार्थी ने मेहनत मजदुरी कर बनाया है । प्रार्थी ने मकान का पट्टटा, जमाबन्दी व संपरिवतर्तन आदेश की प्रति भी पेश की है । विपक्षीगण के पास रहने के लिये मकान नही होने के कारण प्रार्थी ने विपक्षीगण को अपने पास रहने दिया था लेकिन विपक्षीगण ने प्रार्थी को बेदखल कर दिया व प्रार्थी के घर पर कब्जा कर लिया है और प्रार्थी को अपने अधिकारो से वंचित कर रहा है तथा विपक्षीगण प्रार्थी को प्रताडीत कर रहे है ऐसे मे विपक्षीगण को बेदखल कर प्रार्थी को मकान मे निवास करने के लिये मकान कब्जा सुपूर्द किया जावे व विपक्षीगण को इस बात के लिये पाबंद किया जावे की वे प्रार्थी के साथ गालीगलौज नही करे । उस बात आदेश पारीत किया जावे ।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिसमें ग्राम झलाप मे प्रार्थी के स्वामित्व का मकान स्थित है जिसका नाप उत्तर दक्षिण 30 फिट व पूर्व पश्चिम 20 फिट होकर स्थित है जिसके उत्तर मे प्रार्थी के स्वंय की भुमी, दक्षिण मे स्वंय का आंगन व सीसी सडक पुर्व व पश्चिम मे स्वंय की भुमी स्थित है उक्त मकान प्रार्थी ने मेहनत मजदुरी कर बनाया है । प्रार्थी ने अपने स्वामित्व के मकान का पट्टटा, जमाबन्दी व संपरिवतर्तन आदेश की प्रति भी पेश की है । विपक्षीगण के पास रहने के लिये मकान नही होने के कारण प्रार्थी ने विपक्षीगण को अपने

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

क्रमशः पेज तीन पर

Scanned with OKEN Scanner

पास रहने दिया था लेकिन विपक्षीगण ने प्रार्थी को बेदखल कर दिया व प्रार्थी के घर पर कब्जा कर लिया है और प्रार्थी को अपने अधिकारो से वंचित कर रहा है तथा विपक्षीगण प्रार्थी को प्रताडीत कर रहे है ऐसे मे विपक्षीगण को बेदखल कर प्रार्थी को मकान मे निवास करने के लिये मकान कब्जा सुपूर्द किया जाना व विपक्षीगण को इस बात के लिये पाबंद किया जाना कि वे प्रार्थी के साथ गालीगलौज व झगडा फिसाद नही करे का आदेश पारित किया जाना उचित समझता हुं।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम झलाप मे स्थित प्रार्थी के स्वामित्व के मकान जिसका नाप उत्तर दक्षिण 30 फिट व पूर्व पश्चिम 20 फिट होकर स्थित है जिसके उत्तर मे प्रार्थी के स्वंय की भुमी, दक्षिण मे स्वंय का आंगन व सीसी सडक पुर्व व पश्चिम मे स्वंय की भुमी है उकत मकान से विपक्षीगण को बेदखल कब्जा प्रार्थी को सुपूर्द वादी किया जावे तथा विपक्षीगण को पाबंद किया जाता हैकि वे प्रार्थी के साथ गालीगलौज व झगडा फिसाद नही करे । तहसिलदार सीमलवाडा आदेश की पालना करावे ।

राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner